



2026:AHC:56157

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 511/2026

दिनेश कुमार शर्मा

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : स्वयं, विकास श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

दिनांक 26.02.2026 को आरक्षित

दिनांक 19.03.2026 को उद्घोषित

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. पुनरीक्षणयाची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विकास श्रीवास्तव और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एजीए को सुना गया।

2. इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 01.03.2023 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से अपनी पत्नी, प्रतिपक्षी संख्या 2, को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 4,000/- रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.10.2023 के उस निर्णय और आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध दायर की गई वापसी याचिका को खारिज कर दिया गया था, साथ ही दिनांक 16.07.2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 207/2023 को खारिज कर दिया गया था।

3. वर्तमान पुनरीक्षण के संदर्भ में संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पुनरीक्षणयाची का विवाह प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ 23.02.2014 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। इस विवाह से कुमारी हिमांशी और अशर्व नामक दो संतानें हुईं। प्रतिपक्षी संख्या 2 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) के तहत कार्यवाही शुरू की और कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। पुनरीक्षणयाची को नोटिस भेजे जाने के बावजूद वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, और एक घरेलू घटना रिपोर्ट भी अभिलेख में दर्ज की गई।

4. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने और यह संतुष्ट होने पर कि आवेदन में अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2023 को एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता पति को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा संबंधी जरूरतों और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों का प्रबन्ध करने के लिए प्रति माह 4,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। विचारण न्यायालय ने माता को सप्ताह में दो बार, यानी प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार भी प्रदान किया।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक पक्षीय आदेश को रद्द करने हेतु एक आवेदन दिया, जिसे विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को विधिवत नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहा कि एक पक्षीय आदेश के जारी रहने से उसे किस प्रकार हानि हुई, विशेषकर तब जब उसने इस बात से इनकार नहीं किया था कि प्रतिपक्षी संख्या 2 उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 207/2023 दायर की। अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ वैवाहिक संबंध से इनकार नहीं किया था। अपीलीय

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि प्रतिपक्षी संख्या 2 बिना पर्याप्त कारण के अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और चूंकि आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया गया था, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं थी। अपीलीय न्यायालय को इन तर्कों में कोई मेरिट नहीं मिला और तदनुसार अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त तीनों आदेशों को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख किया है।

6. पुनरीक्षण में उठाया गया मुख्य आधार यह है कि विवाह के लगभग छह वर्ष बाद , प्रतिपक्षी संख्या 2 का व्यवहार याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता के प्रति तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि उसने याचिकाकर्ता पर अपने वृद्ध माता-पिता से अलग रहने का दबाव डालना शुरू कर दिया और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए बार-बार दबाव डाला। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्यवहार और लड़ाई झगड़ा किया। याचिकाकर्ता के अनुसार , उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने प्रतिपक्षी संख्या 2 को उसके मायके से वापस लाने के कई प्रयास किए , लेकिन उसके पिता और भाइयों ने कथित तौर पर किसी न किसी बहाने से उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया। यह भी कहा गया है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके परिवार के सदस्यों ने कभी दहेज की मांग की और न ही प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ कभी क्रूरता की गई।

7. आगे यह आरोप लगाया गया है कि 06.06.2020 को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में, प्रतिपक्षी संख्या 2 गहने, नकदी और कपड़े लेकर बच्चों को छोड़कर ससुराल से चली गई। यह भी आरोप है कि 14.03.2022 को प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपने पिता के साथ याचिकाकर्ता के माता-पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया और बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक दायित्वों को फिर से निभाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामलों में झूठा फंसाने की धमकी दी थी , इसलिए याचिकाकर्ता ने पंजीकृत डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और माननीय मुख्यमंत्री को शिकायतें भेजी थीं। यह भी बताया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 याचिकाकर्ता से अधिक शिक्षित है और याचिकाकर्ता ने विवाह के बाद उसकी आगे की शिक्षा में सहयोग और सहायता प्रदान की थी।

**अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

8. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पारित एकपक्षीय आदेश अवैध है क्योंकि उसे समन की विधिवत तामील नहीं कराई गई थी और यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया है कि वह अब भी प्रतिपक्षी संख्या 2 को वापस लेने और सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

9. अभिलेख से पता चलता है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपील में आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता और उसके पिता शराब के आदी थे और शराब पीने के बाद परिवार के सदस्यों को गाली देते थे। यह आरोप लगाया गया है कि शादी के दो साल के भीतर दो बच्चे पैदा हुए और प्रतिपक्षी संख्या 2 ने लगभग छह साल तक अपने सभी वैवाहिक कर्तव्यों का पालन किया और बच्चों और परिवार की देखभाल की। उसके अनुसार, जब बच्चों के बड़े होने के बाद उसने याचिकाकर्ता के अत्यधिक शराब सेवन पर आपत्ति जताई, तो याचिकाकर्ता ने उसे गाली देना और मारपीट करना शुरू कर दिया और अंततः उसे ससुराल से निकाल दिया, जिससे वह शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार हुई। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि 14.04.2022 को याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 से दोनों बच्चों को जबरदस्ती छीन लिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद प्रतिपक्षी संख्या 2 ने बच्चों से मिलने के अधिकार के लिए न्यायालय में याचिका दायर की और न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसे सप्ताह में दो बार बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया।

10. प्रतिपक्षी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया है कि उसे कई बार उसके ससुराल से वापस भेज दिया गया और पाँचवीं बार उसे पीटकर घर से निकाल दिया गया। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता महीने में कई बार देर रात नशे की हालत में उसे फोन करता था। उसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की, बच्चों की अभिरक्षा उससे छीन ली, उसका सारा स्त्रीधन ले लिया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया और यहाँ तक कि उसे फांसी देने की धमकी भी दी और खुद को उच्च न्यायालय का अधिवक्ता बताकर उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अपने पास रखे। जिला परिवीक्षा अधिकारी ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को फोन और पंजीकृत डाक दोनों से सूचित किया था, फिर भी उसने जानबूझकर अदालत में पेश होने से **अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

परहेज किया। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील निर्धारित समय सीमा के लगभग आठ महीने बाद दायर की गई थी। प्रतिपक्षी संख्या 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता को आदेश की पूरी जानकारी थी और उसने पहले विचारण न्यायालय में धारा 25(2) के तहत एक आवेदन दायर किया था, फिर भी उसने बिना किसी वैध कारण के जानबूझकर अपील दायर करने में देरी की।

11. प्रतिपक्षी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया है कि पुनरीक्षणयाची ने दबाव डालकर उसके पिता से 3,00,000 रुपये लिए और उक्त राशि का उपयोग अपने पिता के चेक का उपयोग करके एक फर्म के माध्यम से अपनी भाभी के नाम पर एक साथ पंजीकरण कराकर एक भूखंड खरीदने के लिए किया। विक्रेता के साथ विवाद होने पर, अदालती कार्यवाही के माध्यम से भूखंड रद्द कर दिया गया और लगभग 1,07,000 रुपये प्रतिपक्षी संख्या 2 को वापस कर दिए गए। उसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने बाद में कुछ दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर लेकर किशतों में वापस की गई राशि निकाल ली।

12. यह भी कहा गया है कि धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत एक मामले में मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने सुलह से इनकार कर दिया। जब प्रतिपक्षी संख्या 2 को वर्ष 2020 में पहली बार ससुराल से निष्कासित किया गया था, तब उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, उन कार्यवाही से बचने के लिए, याचिकाकर्ता ने 16.04.2021 को एक समझौते के माध्यम से उसे वापस ले लिया, लेकिन 14.03.2022 को उसे फिर से ससुराल से निकाल दिया।

13. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा लगाए गए अप्रतिबंधित आरोपों के आधार पर जिला हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला सिद्ध होने पर कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा एक पक्षीय आदेश को रद्द करने की मांग वाला आवेदन विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पक्षों के बीच संबंध विवादित नहीं था और याचिकाकर्ता अंतरिम भरण-पोषण जारी रहने से हुए किसी भी नुकसान को प्रदर्शित

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



करने में विफल रहा था। अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त आदेशों को चुनौती पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में विधिवत नोटिस दिया गया था और अप्रतिबंधित सामग्री के आधार पर पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता था। परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील खारिज कर दी गई।

14. याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 बिना पर्याप्त कारण के अपने माता-पिता के साथ रह रही है और चूंकि आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। हालांकि, दिनांक 01.03.2023 के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि याचिकाकर्ता को विधिवत नोटिस दिया गया था, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने अंतरिम भरण-पोषण के रूप में केवल 4,000 रुपये प्रति माह दिए। इसलिए, यह तर्क कि आदेश उचित तामील के बिना पारित किया गया था, अभिलेखों से सिद्ध नहीं होता है। एक बार जब याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर लेता है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, तो उसका कानूनी और नैतिक दायित्व है कि वह उसके भरण-पोषण का प्रबंध करे।

15. याचिकाकर्ता की ओर से एक अन्य तर्क यह है कि दोनों नाबालिग बच्चे उसके साथ रह रहे हैं और वह अकेले ही उनके पालन-पोषण और शिक्षा का खर्च वहन कर रहा है, जबकि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उनके कल्याण के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उसके बैंक खाते में 3,00,000 रुपये से अधिक की राशि थी, और उसने झूठा दावा किया कि उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि निचली अदालतों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का प्रभावी अवसर दिए बिना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उसके द्वारा दायर आय संबंधी शपथपत्र पर विचार किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 सुशिक्षित है और अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है, लेकिन उसने जानबूझकर काम न करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर भरण-पोषण का दावा करने का विकल्प चुना है।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

16. आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के नाम पर कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है और वह अपने नाबालिग बच्चों के प्रति दायित्वों का निर्वहन उधार ली गई धनराशि से कर रहा है, जो उसके ऋण खातों और क्रेडिट कार्ड बिलों से स्पष्ट होता है। यह भी निवेदन किया गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं लड़ सका, जो उसके अनुसार उसकी वास्तविक वित्तीय कठिनाई को दर्शाता है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि उसने 05.08.2025 को वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश प्राप्त किया था, फिर भी प्रतिपक्षी संख्या 2 ने जानबूझकर इसका अनुपालन नहीं किया है और इसलिए वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में जिरह के दौरान प्रतिपक्षी संख्या 2 ने स्वीकार किया था कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 ने स्वेच्छा से वैवाहिक घर छोड़ दिया है और बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रति वर्ष केवल दो से तीन मामलों की सुनवाई करता है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आय विवरण में क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए 9,000 रुपये प्रति माह और बच्चों के खर्चों के लिए लगभग 1,27,181 रुपये प्रति वर्ष का उनका व्यय दर्शाया गया है।

17. दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेख में मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को 4,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करता है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत आय विवरण में यह दर्शाया गया है कि क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए 9,000 रुपये प्रति माह और बच्चों के खर्चों के लिए लगभग 1,27,181 रुपये प्रति वर्ष का उनका व्यय होता है, जो दर्शाता है कि उनकी वित्तीय क्षमता अपर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह की मामूली राशि का आवंटन अत्यधिक या मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

18. दोनों निचली अदालतों ने स्पष्ट रूप से यह तथ्य पाया है कि याचिकाकर्ता को कार्यवाही की सूचना विधिवत दी गई थी और एकपक्षीय आदेश सूचना मिलने के बाद और उसके न्यायालय में उपस्थित न होने पर ही पारित किया गया था। यह सर्वसम्मत निष्कर्ष अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और इसमें कोई स्पष्ट अवैधता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, एकपक्षीय आदेश को चुनौती देते समय, याचिकाकर्ता को वे आधार उठाने की अनुमति नहीं है जो अन्यथा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसे मामले की मेरिट पर आधारित विवादित कार्यवाही में उपलब्ध होते। जब याचिकाकर्ता ने नोटिस मिलने के बावजूद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश न होने का विकल्प चुना , तो अब उसे विवाद के गुण- दोष से संबंधित मजबूत बचाव प्रस्तुत करके आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी परिस्थितियों में एकपक्षीय आदेश को चुनौती देने का दायरा सूचना न मिलने या अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण सिद्ध करने तक ही सीमित है। चूंकि दोनों निचली अदालतों ने पहले ही यह निष्कर्ष दर्ज कर लिया है कि याचिकाकर्ता को सूचना विधिवत दी गई थी और वह उपस्थित नहीं हुआ था , इसलिए पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में आक्षेपित आदेशों में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **विकास पांडे बनाम वंदिता गौतम , 2012 सुप्रीम (इलाहाबाद) 2672, संजय भारद्वाज बनाम राज्य , मुकदमा (दिल्ली) 1718 और रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एससीसी 324** के निर्णयों पर अवलम्ब लिया है। हालांकि, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में याचिकाकर्ता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं। **विकास पांडे (उपरोक्त)** मामले में, न्यायालय ऐसी स्थिति पर विचार कर रहा था जहां पक्षों की वित्तीय क्षमता और आचरण से संबंधित तथ्य काफी भिन्न थे और पत्नी की आय क्षमता के संबंध में विशिष्ट साक्ष्यों के आधार पर भरण- पोषण के दावे की जांच की गई थी। उक्त निर्णय का सार अपने विशिष्ट तथ्यों पर आधारित था और यह कोई सिद्धांत स्थापित नहीं करता है कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को केवल इसलिए अंतरिम भरण- पोषण से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह शिक्षित है या कथित रूप से कमाने में सक्षम है। इसी प्रकार , **संजय भारद्वाज (उपरोक्त)** मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जहां पत्नी लाभकारी रोजगार में है और अपना भरण- पोषण करने में सक्षम है , वहां भरण-पोषण देना उचित नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में , रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिपक्षी संख्या 2 लाभकारी रोजगार में है या उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त आय का स्वतंत्र स्रोत है।

20. **रजनेश (उपरोक्त)** मामले पर भरोसा करना भी गलत है। उक्त फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भरण-पोषण के निर्धारण और भरण- पोषण कार्यवाही में दोनों पक्षों द्वारा आय , संपत्ति और देनदारियों के शपथपत्र दाखिल करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। यह निर्णय इस सिद्धांत को दोहराता है कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का कानूनी और *अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



नैतिक कर्तव्य है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। इसमें निहित दिशानिर्देश भरण-पोषण दावों के निर्णय में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हैं और इस बात का समर्थन नहीं करते कि वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों में पत्नी को मामूली अंतरिम भरण-पोषण से भी वंचित किया जा सकता है।

21. यह सर्वविदित है कि पति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता और उसे जीवनयापन के साधनों के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पत्नी बेसहारा न रह जाए। इसके अलावा, चुनौती दिया गया आदेश केवल अंतरिम प्रकृति का है, जो पक्षों के अधिकारों और दायित्वों पर अंतिम निर्णय होने तक तत्काल राहत प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं मिलती है जो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप को उचित ठहराती हो।

22. तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

23. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की बर्खास्तगी पुनरीक्षणयाची को विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने से नहीं रोकेगी। पुनरीक्षणयाची विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और कानून के अनुसार मामले की मेरिट के आधार पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। विचारण न्यायालय, मुख्य कार्यवाही का निर्णय करते समय, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर मामले का स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगी और वर्तमान आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी, जो केवल अंतरिम मुद्दे के निर्णय तक सीमित है।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 मार्च, 2026

कुलदीप

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*